न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2015 रिवीजन

निगरानी 2309-I-15

1. अंसार खॉ पुत्र श्री इलयाजा खॉ आयु 48 साल, व्यवसाय कृषि
2. श्रीमती आरिफा खॉ पत्नी श्री अंसार खॉ आयु 45 साल

समस्त निवासीगण ग्राम नरखेडाजागीर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

मुन्नन बी पत्नी श्री असलम गौरी निवासी मोहल्ला टोरी सिरोज जिला दिदिशा म.प्र.

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता संहिता विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 123/ अपील/ 2012– 13 में पारित आदेश दिनांक 16.06. 2015 से परिवेदित होकर

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार मण्डल 1 तहसील सिरोंज जिला विदिशा के समक्ष बंटवारा आवेदन प्रसतुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–3/ 2010–11 दर्ज किया गया । अनावेदक को सूचना दी गई इश्तेहार जारी किया गया , सूचना पत्र देने के उपरांत कोई आपत्ति नही आई, न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2308/1/2015 निगरानी — जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-10-2016	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 123/अपील/2012–13 में पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 16–6–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम पाटन, तहसील सिरोंज स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 1/2, 1/5, 1/4, 6/2/6, 6/2/3, 6/2/5, 6/2/8 कुल किता 7 कुल रकवा 9.146 हैक्टर के बंटवारा हेतु आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, मण्डल 1 तहसील सिरोंज के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्र0क0 2/अ–3/2010–11 पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 26–12–2011 को आदेश पारित कर बंटवारा स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज के समक्ष विलम्व से अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 123/अपील/2012–13 पर दर्ज की जाकर, अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2015 से विलम्व छमा किया जाकर, समय सीमा में मान्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क	

दिया गया कि, तहसीलदार महोदय ने अनावेदिका को विधिवत सूचना दी गई, सूचना उपरान्त कोई आपत्ति नहीं आई। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाकर आवेदकगण का बंटवारा आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि, अनावेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है, विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अनावेदिका का उक्त विवादित भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है। अनावेदिका को बंटवारा प्रकरण की जानकारी पूर्व से होते हुए भी उपस्थित नहीं हुये है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने इस तथ्य को अनदेखा कर अनावेदिका की अपील में विलम्ब छमा करने में अवैधानिकता की है। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) वि. छोटा, 1989 आर. एन. 243 गोदावरीबाई बनाम विमलाबाई का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदिका की ओर से अधिवकता श्री आर.डी.शर्मा द्वारा तर्क दिया गया कि, अनावेदिका भूमि सर्वे कमांक 6/2 मिन–4 रकवा 3.074 हैक्टर की अभिलिखित भूमिस्वामी है तहसीलदार महोदय द्वारा अनावेदिका को सूचना, सुनवाई व वहस का अवसर दिये बगैर बंटवारा किया गया है। जिससे अनावेदिका को हानि हुई है। इस कारण अनावेदिका द्वारा विलम्ब से अनुविभगीय अधिकारी महोदय से समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें अनुविभगीय अधिकारी महोदय द्वारा अनावेदिका को सूचना न होना प्रतीक होने से व अनावेदिका

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2308/1/2015 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-10-2016	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 123/अपील/2012–13 में पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 16–6–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम पाटन, तहसील सिरोंज स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 1/2, 1/5, 1/4, 6/2/6, 6/2/3, 6/2/5, 6/2/8 कुल किता 7 कुल रकवा 9.146 हैक्टर के बंटवारा हेतु आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, मण्डल 1 तहसील सिरोंज के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्र0क0 2/अ–3/2010–11 पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 26–12–2011 को आदेश पारित कर बंटवारा स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज के समक्ष विलम्व से अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 123/अपील/2012–13 पर दर्ज की जाकर, अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2015 से विलम्व छमा किया जाकर, समय सीमा में मान्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क	

हितवद्ध पक्षकार होने से अपील में विलम्ब छमा किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अभी प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया है, प्रकरण का निराकरण अभी गुण–दोषों पर होना है जंहा आवेदकगण को अपना पक्ष समर्थन रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा–5 का आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अनावेदिका द्वारा अलग–अलग तथ्य उल्लेख किये गये है अनावेदिका ने धारा–5 के आवेदन पत्र में लेख किया है कि, बंटवारा आदेश की जानकारी दिनांक 13–2–13 को पटवारी के यंहा अक्श की प्रति लेने व खसरा खतौनी लेने गई व पटवारी ने अक्श का अवलोकन कराया तो ज्ञात हुआ कि रेस्पो0 ने बंटान कायम करा ली है। इसके विपरीत शपथ–पत्र में लेख किया गया है कि,पटवारी द्वारा अक्श बंटान की प्रति बनाई जा रही थी। अनावेदिका द्वारा जानकारी दिनांक 13–2–13 से भी विलम्ब के संबंध में दिन–प्रतिदन का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंव के लिए माफी नहीं दी जा सकती। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब छमा किया जाकर अपील समय सीमा में मान्य की गई है। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से उद्धरित न्याय दृष्टांत 1992

आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) वि. छोटा, 1989 आर. एन. 243 गोदावरीबाई बनाम विमलाबाई इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होता है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 16–6–2015 अवैधानिक होने से उस के आधार पर की जा रही कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज द्वारा प्रकरण कमांक 123/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 16.6.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर, तहसीलदार, मण्डल 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2011 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं।

(एम.के सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर